न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला जोधपुर कम्प बीजासनी

पीठासीन अधिकारी – भवानी सिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या– 30/2021

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
चेतनभाई पुत्र जैपाजी जाति प्रजापत निवासी बड़ो कलॉ हाल मुकाम् हिम्मतनगर जिला साबरकाठा (गुजरात)		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति – वादी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 1 सरकारी पेरोकार

निर्णय दिनांक :– 08.11.2021

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बडो कलॉ तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 91 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 91/24 रकबा 0.2670 हैक्टयर, खसरा नम्बर 91/25 रकबा 0.2427 हैक्टेयर स्थित है। जिसकी खातेदारी वादी के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। वादी को घर में लाड प्यार से चैनाराम पुकारते है और वादी का सरकारी दस्तावेज आदि में उसका नाम चेतन भाई लिखा हुआ है। जब वादी के पिता जयरूपराम उर्फ जपाजी का देहान्त हुआ उस समय फौतेदगी नामान्तरकरण म भूलव"ा या त्रुटीव"ा वादी का नाम चैनाराम लिखवा दिया, जबकि वादी का सरकारी दस्तावेजो के अनुसार उसका वास्तविक नाम चेतन भाई है। वादी अभी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु बैक के समक्ष गया और अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि पर ऋण देने हेतु का निवेदन किया और अपने सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, पैनकार्ड, बक डायरी, पहचान पत्र आदि दस्तावेज बैंक मैनेजर साहब के समक्ष पे"ा किये, जिस पर बैंक मैनेजर साहब ने दस्तावेज देखकर बताया कि आपका सरकारी दस्तावेज में आपका नाम चेतन भाई लिखा हुआ है और जमाबन्दी में चैनाराम लिखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:02 IST
Reason: SelfAttested

हुआ है, जिस पर बैक मैनेजर ने ऋण देने से मना कर दिया और वादी को कहा कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में शुद्धि आदि करवायी जावे। इस कारण वादी को राजस्व रेकर्ड मे अपने चैनाराम के स्थान पर चेतन भाई नाम की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने हेतु का यह दावा पे”ा करना पड़ रहा है। वादी चैनाराम व चेतन भाई एक ही व्यक्ति है तथा विवादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा का”त चला आ रहा है। वादी ने विवादग्रस्त भूमि दावे के पद संख्या 1 की खातेदारी के विरूद्ध तहसीलदार या अन्य किसी के न्यायालय में कही कोई आपति, एतराज या अपील, रिवीजन आदि पे”ा नही की है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में चैनाराम नाम लिख देने से वादी न तो अपनी भूमि पर ऋण ले सकता है तथा न ही कोई सरकारी सहायता प्राप्त कर सकता है और न ही अपनी खातेदारी भूमि का बेचान कर सकता है। वादी को घर पर लाड़ प्यार से चैनाराम पुकारते है, इस कारण वादी के पिता जयरूपराम उर्फ जैपाजी का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय भूलव”ा या बीना जानकारी के वादी का नाम चैनाराम दर्ज कर दिया, जबकि वादी के सरकारी दस्तावेज चेतन भाई नाम से जारी किये हुए है, अतः राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी का नाम गलत अंकित करना एक मानवीय भूल रह गयी, जिसे घोषणा के जरिए दुरूस्त किया जाना आव”यक है।अन्त में निवेदन किया कि चेनाराम पुमत्र जयरूपराम के स्थान पर चेतनभाई पुत्र जैपाजी की खातेदारी घोषित को जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश किया कि दावे क पद संख्या 1 मं वर्णित भूमि में चनाराम पुत्र जयरूपराम के स्थान पर चैतनभाई पुत्र जैपाजी को राजस्व रेकर्ड म इन्द्राज किया जाता है तो कोइ आपति नहीं ह। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दावा को स्वीकार करने क कारण तनकीयात की आवश्यकता नहीं रही। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया तथा अपने दावे के समर्थन में पी. डब्लू. 2 श्रीमती सोहनी देवी पत्नी मोहनराम जाति प्रजापत निवासी बड़ी कलां तहसील बिलाड़ा, पी.डब्लू. 3 श्रीमती सविता पत्नी मोहनलाल जाति प्रजापत निवासी बडी़ कलां तहसील बिलाड़ा के बयान दर्ज करवायें। तथा अपने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर सरप[illegible] ग[illegible] पंचायत बिजासनी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र दिनांक 08.11.202[illegible] को पेश किया गया है। जिसें शामिल पत्रावली किय गय।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:02 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली ध्यानपूवक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सख्या 1 की ओर से दावा को स्वीकार करन के कारण तनकियात की आव”यकता नही रही। वादी ने दाव के साथ जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 खसरा नम्बर 91, 91/24, 91/25 आधार कार्ड, पहचान कार्ड, पेन कार्ड आदि को पे”ा किया है। दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम चतनभाई दर्ज किया हुआ है। जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में वादी की खातेदारी चैनाराम पुत्र जयरूपराम के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम चतनभाई पुत्र जैपाजी की घोषणा कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ने रेकर्ड में दुरूस्त करने की सहमती प्रदान की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बड़ी कलां तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 91 रकबा 0.0971 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 91/24 रकबा 0.2670 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 91/25 रकबा 0.2427 हैक्टैयर के राजस्व रेकर्ड में चनाराम पुत्र जयरूपराम के स्थान पर चतनभाई पुत्र जैपाजी की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदे”ा प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। डिक्री पचा जारी हो। पत्रावली फै”ल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 08.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:02 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प बीजासनी
व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
चेतनभाई पुत्र जैपाजी जाति प्रजापत निवासी बड़ो कलॉ हाल मुकाम् हिम्मतनगर जिला साबरकाठा (गुजरात)		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 30/2021

निर्णय **दिनांक** :– 08.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब, प्रतिवादी संख्या 1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे”ा होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम बड़ी कलां तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 91 रकबा 0.0971 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 91/24 रकबा 0.2670 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 91/25 रकबा 0.2427 हैक्टैयर के राजस्व रेकर्ड में चनाराम पुत्र जयरूपराम के स्थान पर चतनभाई पुत्र जैपाजी की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदे”ा प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन कर।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – **मुबलिग** – **बाबत्** –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख 08.11.2021 में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारोख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि”नर			फीस कमि”नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नाट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजिरी हर [illegible] की, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:02 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:02 IST
Reason: SelfAttested